पत्रांकः– वन भूमि–07/2020....................../प०व०ज०प०

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक..........................

विषय :– बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलान्तर्गत बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.62935 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव उप महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लि०, मोन्टाना विस्टा, उत्तरायण माटीगारा, सिलीगुड़ी द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित परियोजना मे अपयोजित होने वाले स्थल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा "सुरक्षित वन (पथ तट, बांध तट एवं नहर तट)" के रूप में अधिसूचित है। वन भूमि के रूप में अधिसूचित स्थल का स्वामित्व पैतृक विभाग का है। बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलान्तर्गत बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन उक्त अधिसूचित सुरक्षित वनभूमि से होकर गुजरेंगे। विषयांकित परियोजना का निर्माण राज्य के चार वन प्रमंडलों के अंतर्गत होना है, जिसमें 0.62935 हे० वन भूमि अपयोजन एवं 346 वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन भूमि का रकवा (हे० मे)	वनभूमि में अवस्थित वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	सहरसा	0.1295	90	0.4 से कम
2	अररिया	0.0930	20	0.1
3	पूर्णियाँ	0.2170	105	0.3
4	बेगूसराय	0.18985	131	0.4 से कम
	कुल	**0.62935**	**346**	

उल्लेखनीय है कि बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन बिहार राज्य के चार वन प्रमंडलों से होकर गुजरती है। प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक–गेल/ बीजीपीएल/एफसीए/ 01275/2019 दिनांक–

05.11.2019 (पृष्ठ– 248/प० पर द्रष्टव्य) द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा को सूचित कया गया है कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24" डाया की प्रस्तावित बरौनी–गुवाहाटी पाईप लाईन डाली जायेगी। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह भी आश्वास्त किया गया है कि पेड़ों की कटाई किये बिना प्रस्तावित वनभूमि 24" डाया की प्रस्तावित बरौनी–गुवाहाटी पाईप लाईन डाली जायेगी। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection Plan) के तहत वृक्ष को बचाने हेतु HDD/Trenchless विधि द्वारा पाईप लाईन बिछाई जाएगी। HDD/Trenchless विधि में 24" डाया की पाईप जमीन के उपरी सतह से 3 मीटर या उससे कुछ ज्यादा नीचे से जाती है, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

उपर्युक्त विधि को अन्य तीनों वन प्रमंडलों यथा अररिया, पूर्णियाँ तथा बेगूसराय में भी अपनाते हुए परियोजना निर्माण कार्य पूरा करने की शर्त्त के साथ परियोजना की अनुशंसा की जाती है।

प्रासंगिक पत्र में अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज एवं मधेपुरा द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्ष के पातन नहीं किया जाना है तथापि हरितावरण बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.62935 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,93,973/–(तीन लाख तिरानवें हजार नौ सौ तिहत्तर रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा फिर भी हरितावरण बनाये रखने के लिये 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतनद र पर जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–07/2020...................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/उप महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लि०, मोन्टाना विस्टा, उत्तरायण माटीगारा, सिलीगुड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–07/2020...................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रस्ताव हेतु हरितावरण बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण के निमित प्राक्कलन अविलम्ब अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी, A-2 श्यामली, राँची–834002 को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–07/2020 261(5) /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 20\02\2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

20/02/2020
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

VR S One-102